पंचायत आम निर्वाचन,
2021
**अत्यावश्यक**

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-239/2021 3579

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

पटना, दिनांक – 8.9.21

**विषय : पंचायत निकायों का निर्वाचन, 2021 के दौरान परिसदनों/निरीक्षण भवनों/डाक बंगलों आदि के उपयोग के संबंध में।**

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा गया है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद चुनाव के समय उम्मीदवारों के समर्थक राजनीतिक दलों के नेताओं का क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ जाता है तथा परिसदनों/ निरीक्षण भवनों/ डाक बंगलों आदि में ठहरने हेतु आरक्षण अधियाचनाओं की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है।

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ऐसे भवनों के आवंटन में पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाए ताकि किसी स्तर से इस संबंध में भेद-भाव बरते जाने के आरोप नहीं लगाए जा सकें।

3. पंचायत निकायों के निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से सरकारी/ अर्द्धसरकारी परिसदनों/ निरीक्षण भवनों/ डाक बंगलों/ अतिथिशालाओं आदि में ठहराने के लिए आरक्षण के संबंध में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रियों/ लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों/ सांसदों/ विधायकों/ राजनीतिक दलों के पदधारकों अथवा निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनके ठहरने हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं :–

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/ निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में, राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर, कोई भेद-भाव नही किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों के पदधारकों/ सांसदों/ विधायकों/ पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये, कमरे की उपलब्धता के आधार पर "First come first serve" की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\Sanjeev sir\P E 2021\19

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री/ लोक उपक्रमो के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सांसद/ विधायक/ राजनीतिक दलों के पदधारक/ उम्मीदवार को परिसदन/ निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी आम सभा का आयोजन/ चुनाव प्रचार अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **ये दिशा निर्देश पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू हैं तथा अंतिम चरण के विधिवत् रुप से परिणाम घोषणा होने तक प्रभावी रहेंगे।**

5. निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को आयोग के उपर्युक्त दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3579 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-239/ 2021 3579 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि : सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

D:\Sanjeev sir\P E 2021\20